न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 449/2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
ग्राम पंचायत पीलवा, जरिये सरपंच तहसील देचू, जिला जोधपुर		1. महेश्वरसिंह पुत्र प्रभुसिंह 2. सुमेरसिंह पुत्र भगवानसिंह (जाति रावणा राजपूत, निवासी पीलवा, तहसील देचू, जोधपुर) 3. तहसीलदार लोहावट (जोधपुर) 4. तहसीलदार देचू (जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी फलौदी (जोधपुर) दिनांक 09.04.2018 राजस्व प्रार्थना पत्र स0 496/2017 अनवान महेश्वरसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार लोहावट

उपस्थित–
1. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित वकील अपीलांट्स
2. श्री पूनाराम विश्नोई वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांक 24.04.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट स्थित खसरा नम्बर 571/1 रकबा 5 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। खसरा नं0 571 मूल रूप से गोचर भूमि रहा है तथा इसमें से 5 बीघा भूमि जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 13.03.1989 को ग्राम पंचायत पीलवा को आंवटित करने से ग्रा0पं0 में खाते में दर्ज की गई, लेकिन राजस्व नक्शे में तरमीम नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरीये अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2018 से स्वीकार कर उक्त भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा में तत्कालीन ग्राम पंचायत पीलवा के आबादी विस्तार हेतु संलग्न नजरी नक्शे में प्रस्तावित स्थल के माफिक करने हेतु तहसीलदार को

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज़. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत पीलवा को पक्षकार नही बनाया गया और न ही ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र तहसीलदार को पेश किया गया, जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत पीलवा के खाते में गै0मु0 आबादी दर्ज है, जिसकी नक्शे में तरमीम नही की हुई है। ग्रा0पं0 के प्रस्ताव/आवेदन दिनांक 04.03.1989 के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसार आवंटित खसरे में 35–40 भूमिहीन लोगों के मकान बने हुए है, जो बिजली इत्यादि सुविधा के साथ अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। इनमें कई लोगों को पट्टे भी जारी किए हुए है। प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा स्वयं /कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की गरज से आबादी भूमि की तरमीम हेतु तथाकथित एक नजरी नक्शा प्रस्तुत कर जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। उक्त जगह पर एक भी मकान नही बना हुआ है, बल्कि उस जगह भारत माला योजना के तहत 30 मीटर चौडी सड़क प्रस्तावित है। जिसकी अवाप्ति में मुआवजा राशि ऐठने के लिए प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 ने उक्त जगह तरमीम आदेश पारित करवाया गया है। जिन्हें उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की लोकस स्टैण्डाई प्राप्त नही थी तथा ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होने से उसकी सुनवाई आवश्यक थी। उक्त खसरा नं0 571/1 में प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 व 2 के कब्जासुदा पुराने भूखण्ड है, हाल ही में उस जगह तारबंदी करके बाड़े बना दिये गये, जबकि उक्त जगह से काफी दूरी पर भूमिहीन लोगों के रहवासीय मकान बने हुए है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 के पास पुरानी तिथि के फर्जी पट्टे है, जिनका ग्रा0पं0 में कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है। अंत में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा तहसीलदार देचू को ग्राम पीलवा के खसरा नं0 571/1 रकबा 5 बीघा भूमि को भूमिहीन लोगों के रहवास हेतु बने हुए मकानों की जगह गै0मु0 आबादी भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

में तत्कालीन ग्राम पंचायत पीलवा के आबादी विस्तार हेतु करने के लिए तहसीलदार देचू को निर्देशित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 से 2 योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि ग्राम पीलवा के मूल खसरा नं0 571 कुल रकबा 145.7 बीघा भूमि में से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा प्रसतावित आबादी भूमि आवंटन जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 13.03.1989 को किया गया था, प्रस्तावित नक्शा में आबादी भूमि को दर्शाया गया। जिसकी नक्शा ट्रेस में तरमीम अंकित नही की गई। प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेशानुसार आबादी भूमि की तरमीम करने का आदेश पारित किया गया है। जो न्यायोचित होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात की राजस्व नक्शा में तरमीम हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर यह आदेश पारित किया गया है **"कि ग्राम पीलवा के खसरा नं0 571/1 रकबा 5 बीघा गै0मु0 आबादी भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा में तत्कालीन ग्रा0पं0 पीलवा के आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा आबादी हेतु प्रस्तावित स्थल के माफिक की जावे"।** जो विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 496/2017 महेश्वरसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार लोहावट में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 **अप्रेल, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर